

: : आदेश : :

वाणिज्य कर विभाग में कार्यरत डिप्टी/असि0 कमिश्नर/वाणिज्य कर अधिकारी (कर निर्धारण) के अधिकार क्षेत्र से सम्बन्धित वर्ष 2018-19 में निस्तारित वादों की आन्तरिक सम्परीक्षा कार्यक्रम निम्नवत् निर्धारित किया जा रहा है:-

डिप्टी कमिश्नर/असि0 कमिश्नर/वाणिज्य कर अधिकारी क0नि0/सम्परीक्षा दल को निर्देश:-

1. डिप्टी कमिश्नर/असि0 कमिश्नर/वाणिज्य कर अधिकारी सम्परीक्षा दल के पहुंचने से पूर्व ही निर्धारित सम्परीक्षा अवधि में निस्तारित समस्त कर निर्धारण वादों की शत-प्रतिशत सूची निम्न प्रारूप पर (तीन प्रतियों में) सम्बन्धित पत्रावलियों के साथ सम्परीक्षा दल को पहुंचते ही अनिवार्यतः प्रस्तुत करेंगे ताकि समय के अन्दर सम्परीक्षा कार्य पूर्ण हो सके।
2. वरिष्ठ लेखा परीक्षक (प्रभारी) का दायित्व है कि यदि सम्परीक्षा कार्यक्रम के प्रथम दिवस को पहुंचते ही वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए जाने पर तुरन्त जोनल एडीशनल कमिश्नर से सम्पर्क करें एवं एडीशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्य कर, मुख्यालय को फोन द्वारा सूचित करते हुए लिखित रूप से स्पष्ट आख्या सहित सूचना भेजेंगे।
3. महालेखाकार उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा जिन कार्यालयों की अवधि 2018-19 की सम्परीक्षा सम्पादित की जा चुकी है उन कार्यालयों की सम्परीक्षा मुख्यालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या-202 दिनांक 26.05.2010 के प्रस्तर-5 के क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष के पूर्ववर्ती माहों की सम्पादित की जाएगी।
4. सम्परीक्षा दल द्वारा समय से पहुंच कर निर्धारित समय के अन्दर ही समस्त अभिलेखों की अनिवार्य रूप से शत-प्रतिशत सम्परीक्षा पूर्ण करनी है। सम्परीक्षा अवधि किसी भी दशा में बढ़ायी नहीं जायेगी। यदि सम्परीक्षा अवधि के मध्य अवकाश पड़ रहा है तो सम्बन्धित कार्मिक उपस्थित रहते हुए सम्परीक्षा दल को अभिलेख उपलब्ध करायेंगे।
5. सम्परीक्षा दलों द्वारा नित्यप्रतिदिन किये गये सम्परीक्षा के रफनोट्स जारी किये जायेंगे तथा कार्यालय प्रभारी से जारी रफनोट्स पर बिन्दुवार आख्या प्राप्त की जायेगी। इस सम्बन्ध में मुख्यालय के परिपत्र संख्या-आ0सं0-परिपत्र-16 (4) 2005-06/1497/वा0क0 दिनांक 16.02.2006 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करना भी सुनिश्चित करें।
6. सम्बन्धित लेखा परीक्षक/वरिष्ठ लेखा परीक्षक को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित कार्यालयों की आन्तरिक सम्परीक्षा मुख्यालय के परिपत्र संख्या-16 (4) परिपत्र सामान्य-2002-03/85 दि0 19.05.2003 में दिये गये निर्देशों के अनुसार सम्पन्न करना सुनिश्चित करें।
7. सम्परीक्षा दल के सदस्यों को सम्परीक्षा अवधि में सागन्यतः किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा, किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि किसी सदस्य को अवकाश पर जाना पड़े तो वह अपना लिखित प्रार्थनापत्र सम्परीक्षा हो रहे कार्यालय अधिकारी को अवकाश पर जाने के पूर्व उपलब्ध करायेंगे जो प्रार्थना पत्र को अविलम्ब एडीशनल कमिश्नर लेखा मुख्यालय को अगस्तारित करेंगे।
8. सम्परीक्षा दल के सदस्यों को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि सम्परीक्षा के दौरान जो भी आपत्ति उठाई जाती है उसमें व्यापार कर अधिनियम/वाणिज्य कर अधिनियम/वैट अधिनियम तथा परिपत्र एवं व्यायिक निर्णयों जिनका उल्लंघन हो रहा है, उल्लेख अवश्य किया जाय।

9. आन्तरिक सम्परीक्षा कार्यक्रम में उल्लिखित स्थानों में ठहरने के लिए 10 दिनों से अधिक ठहराव हेतु व्यय किया जाना अपरिहार्य है। अतः वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-3 के नियम-27 डी (2) के परिशिष्ट (10) के कमांक-2 के अनुसार 10 दिनों से अधिक का अवस्थान होने पर अवस्थान की सीमा से विमुक्त किए जाने की अनुमति दी जाती है।

करनिर्धारण कार्यालयों की पत्रावलियों की सूची सम्बन्धित पारूप

क्र०सं०	व्यापारी का नाम	वर्ष	प्रा०/के०	आदेश की तिथि	सकल क्रय/विक्रय धन	आरोपित कर
---------	-----------------	------	-----------	--------------	--------------------	-----------

-: आन्तरिक सम्परीक्षा कार्यक्रम:-

पार्टी सं०	सम्परीक्षा दल के सदस्यों के नाम	वर्तमान तैनाती	सम्परीक्षा कार्यालय	वर्ष	निर्धारित सम्परीक्षा तिथि
1.	श्री आशुतोष त्रिपाठी व०ले०प०, (प्रभारी)	नोएडा	खण्ड-12 गाजियाबाद	2018-19	दि० 02.09.19 से 07.09.19 तक
			खण्ड-13 गाजियाबाद	2018-19	दि० 16.09.19 से 21.09.19 तक
2.	श्री सौरभ गुप्ता, व०ले०प० श्री विजय शंकर गौर्य, व०ले०प०, (प्रभारी)	मुरादाबाद	खण्ड-03 नैनपुरी	2018-19	दि० 23.09.19 से 28.09.19 तक
			खण्ड-13 इलाहाबाद	2018-19	दि० 02.09.19 से 07.09.19 तक
3.	श्री संतोष प्रसाद, व०ले०प० श्री सुरेश कुमार पाण्डेय, व०ले०प०, (प्रभारी)	गोरखपुर	खण्ड-02 फतेहपुर	2018-19	दि० 16.09.19 से 21.09.19 तक
			खण्ड-03 बहराइच	2018-19	दि० 30.09.19 से 05.10.19 तक
4.	श्री सत्येन्द्र उपाध्याय, व०ले०प०(प्रभारी)	मुख्यालय	खण्ड-09 गाजियाबाद	2018-19	दि० 16.09.19 से 21.09.19 तक
			खण्ड-03 नोयडा	2018-19	दि० 23.09.19 से 28.09.19 तक
5.	श्री अब्दुल हादी खान, व०ले०प० श्री विश्व प्रकाश, व०ले०प०	लखनऊ	खण्ड-12 नोयडा	2018-19	दि० 30.09.19 से 05.10.19 तक
			खण्ड-19 गाजियाबाद	2018-19	दि० 16.09.19 से 21.09.19 तक
6.	श्री अमितभ सिंह, व०ले०प०, (प्रभारी)	वाराणसी	खण्ड-08 गाजियाबाद	2018-19	दि० 23.09.19 से 28.09.19 तक
			खण्ड-01 कासगंज	2018-19	दि० 30.09.19 से 05.10.19 तक
7.	श्री सावन कुमार गुप्ता, व०ले०प० श्री विजय बहादुर तिवारी, व०ले०प०, (प्रभारी)	इलाहाबाद	खण्ड-08 नोयडा	2018-19	दि० 02.09.19 से 07.09.19 तक
			खण्ड-11 गाजियाबाद	2018-19	दि० 23.09.19 से 28.09.19 तक
8.	श्री रणजलाल, व०ले०प०(प्रभारी) श्री अरुण कुमार, व०ले०प०	मुख्यालय	खण्ड-11 नोयडा	2018-19	दि० 30.09.19 से 05.10.19 तक
			खण्ड-06 नोयडा	2018-19	दि० 02.09.19 से 07.09.19 तक
9.	श्री राम लाल, व०ले०प० श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल, व०ले०प०, (प्रभारी)	इलाहाबाद	खण्ड-03 गाजियाबाद	2018-19	दि० 16.09.19 से 21.09.19 तक
			खण्ड-02 मऊ	2018-19	दि० 30.09.19 से 05.10.19 तक
10.	श्री जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, व०ले०प० श्री जितेन्द्र कुमार गर्ग, व०ले०प०	आगरा	खण्ड-10 गाजियाबाद	2018-19	दि० 02.09.19 से 07.09.19 तक
			खण्ड-07 गाजियाबाद	2018-19	दि० 16.09.19 से 21.09.19 तक
11.	श्री जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, व०ले०प०(प्रभारी) श्री अनूप कुमार द्विवेदी, व०ले०प०	मेरठ	खण्ड-13 मेरठ	2018-19	दि० 23.09.19 से 28.09.19 तक
			खण्ड-02 गाजियाबाद	2018-19	दि० 16.09.19 से 21.09.19 तक
12.	श्री रणजलाल, व०ले०प०(प्रभारी) श्री अरुण कुमार, व०ले०प०	कानपुर	खण्ड-18 गाजियाबाद	2018-19	दि० 23.09.19 से 28.09.19 तक
			खण्ड-14 आगरा	2018-19	दि० 30.09.19 से 05.10.19 तक
13.	श्री अब्दुल राशिद, व०ले०प०, (प्रभारी)	मुख्यालय	खण्ड-08 वाराणसी	2018-19	दि० 02.09.19 से 07.09.19 तक
			खण्ड-01 बलरामपुर	2018-19	दि० 16.09.19 से 21.09.19 तक
14.	श्री राजकुमार मद्देशिया व०ले०प० श्री गितेन्द्र कुमार सिंह व०ले०प० (प्रभारी)	गोरखपुर	खण्ड-03 सुल्तानपुर	2018-19	दि० 23.09.19 से 28.09.19 तक
			खण्ड-04 गाजियाबाद	2018-19	दि० 02.09.19 से 07.09.19 तक
15.	श्री अनूप कुमार द्विवेदी, व०ले०प० श्री निहाल सिंह, व०ले०प०, (प्रभारी)	झांसी	खण्ड-15 गाजियाबाद	2018-19	दि० 16.09.19 से 21.09.19 तक
			खण्ड-01 नोयडा	2018-19	दि० 23.09.19 से 28.09.19 तक
16.	श्री विष्णु शंकर मिश्र, व०ले०प०	फैजाबाद	खण्ड-01 गाजियाबाद	2018-19	दि० 02.09.19 से 07.09.19 तक
			खण्ड-07 नोयडा	2018-19	दि० 16.09.19 से 21.09.19 तक
17.		फैजाबाद	खण्ड-07 आगरा	2018-19	दि० 30.09.19 से 05.10.19 तक

12.	श्रीमती प्रणीता दीक्षित, व०ले०प०, (प्रभारी)	कानपुर	खण्ड-14 इलाहाबाद	2018-19	दि० 02.09.19 से 07.09.19 तक
	श्रीमती मनीषा देवी, व०ले०प०	वाराणसी	खण्ड-04 हरदोई	2018-19	दि० 16.09.19 से 21.09.19 तक
	श्रीमती दीप्ति कश्यप, व०ले०प०	नोयडा	खण्ड-02 शाहजहांपुर	2018-19	दि० 23.09.19 से 28.09.19 तक

★
(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ०प०सं० व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, कैलाश कुंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ।
2. एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
3. एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, नोयडा।
4. सम्बंधित जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
5. सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर, (कार्यपालक), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
6. सम्बंधित डिप्टी/असिस्टेन्ट कमिश्नर
7. सम्बंधित वरिष्ठ लेखा परीक्षकों को अनुपालनार्थ।

कर निरीक्षण

वाणिज्य कर, 3040।

(शैलेश गिरि)

एडीशनल कमिश्नर (लेखा), वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।